156

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06-विविध-09/09 - 5544 /खाद्य, पटना/दिनांक- 15.12.09

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- राशन/किरासन कूपन खोने अथवा विनष्ट होने की स्थिति में डुप्लीकेट राशन/किरासन कूपन निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राशन किरासन कूपन योजना के तहत् लाभार्थी का राशन/किरासन कूपन खो जाने अथवा विनष्ट होने की स्थिति में 10/- (दस) रूपये की दर से कीमत वसूल कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा डुप्लीकेट कूपन निर्गत करने की व्यवस्था है । विभिन्न जिलों से इस संदर्भ में पृच्छाएँ की जा रही है तथा डुप्लीकेट राशन कूपन की आपूर्ति करने हेतु अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं ।

इस संदर्भ में कहना है कि वर्ष 2009-10 हेतु जिलों को आवश्यकता के अनुसार अगले दहाई अंक की संख्या तक कूपन की आपूर्ति की जा चुकी है तथा वितरण भी किया जा चुका है जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कम से कम 1 से 3 प्रतिशत तक सभी जिलों में कूपन अवशेष बचे हुए हैं । अतएव इस अवशेष कूपन का उपयोग डुप्लीकेट कूपन के रूप में किया जा सकता है ।

डुप्लीकेट कूपन जारी करने के पहले लाभार्थी को जारी कूपन को निरस्त करते हुए कूपन निर्गत पंजी में इसे निरस्त अंकित किया जाए तथा इसके स्थान पर जिस माह से डुप्लीकेट कूपन जारी किया जाना है उस माह से जारी (यथा दिसम्बर, 09 से) नए डुप्लीकेट कूपन का संख्या अंकित किया जाए ।

डुप्लीकेट कूपन जारी करने के पहले कूपन पर "Duplicate" का मुहर लगाया जाए तथा स्केच पेन से निर्गत होने वाले डुप्लीकेट कूपन पर जिला स्तर से प्रखण्डवार क्रमांकन कर इसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आद्याक्षरित (Initial Signature) कर मुहरांकित भी किया जाए, तत्पश्चात ही इसे निर्गत किया जाए । डुप्लीकेट जारी किए गए कूपनों का विधिवत् पंजी संधारण भी किया जाए तथा इसकी सूची लाभार्थी एवं उन्हें जारी डुप्लीकेट कूपन की संख्या एवं डुप्लीकेट क्रमांकन संख्या सहित अन्य आवश्यक सूचनाएं पणन पदाधिकारी को भेजी जाए ताकि राशन/किरासन निर्गत करने में कूपन अथवा राशन/किरासन की Duplicacy नही होने पाए ।

जारी किए गए Duplicate राशन/किरासन कूपनों की संख्या एवं लाभार्थी के सम्बन्ध में अन्य विवरणी सहित एक प्रतिवेदन विभाग को भी भेजी जाए ।

विश्वासभाजन,
15/12/09
सरकार के सचिव ।